राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ftsrslsa@gmail.com website: **www.rlsa.gov.in**)

क्रमांकः एफ–4(158)/RSLSA/SS/NLA-V/2018/ 658 दिनांकः 30 नवम्बर, 2018

–:: आदेश ::–

राजस्थान विधान सभा चुनाव दिनांक 07.12.2018 को मध्यनजर रखते हुए, राजस्थान सरकार के आग्रह पर एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 08.12.2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि में परिवर्तन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि सम्पूर्ण राजस्थान के न्यायालयों में (माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर एवं अन्य समस्त अधिकरण सम्मिलित हैं) राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 08 दिसम्बर, 2018 के स्थान पर अब दिनांक 12.01.2019 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित की जावेगी। अतः इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(1) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान एवं सचिव राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर से अनुरोध किया जाता है कि समस्त प्रकरणों में जिनमें प्रि–काउन्सलिंग में समझौता होने के उपरान्त जिन प्रकरणों को दिनांक 08.12.2018 हेतु नियत किया गया है, उन प्रकरणों को अब दिनांक 12.01.2019 के लिए नियत किया जावे। परन्तु अन्य सभी प्रकरण यदि दिनांक 12.01.2019 से पूर्व न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध है और सुनवायी नियत है तो सुनवायी की तिथि में नियत किये जाने के बाद के पश्चात पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत किये जावें। यदि न्यायालय में सुनवायी की तिथि 12.01.2019 के पश्चात की है तो दिनांक 12.01.2019 को सीधे राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष नियत करें।

(2) जो प्रकरण दिनांक 08.12.2018 की राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किये गये थे, उन्हें दिनांक 12.01.2019 की राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जावें । पूर्व में दिये गये अन्य दिशा–निर्देश प्रभावी होंगे।

(3) न्यायालय से रैफर किये गये समस्त प्रकरणों में दिनांक 08.12.2018 के लिए नोटिस जारी किये गये थे, उनमें पुनः दिनांक 12.01.2019 के लिए नोटिस जारी किये जावें और उनकी तामील सुनिश्चित की जावे।

(4) समस्त पक्षकारों, अधिवक्तागण एवं सम्बन्धित पक्षकारों से आग्रह है कि वे दिनांक 08.12.2018 के स्थान पर दिनांक 12.01.2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निस्तारण करवाकर सहयोग प्रदान करें ।

(5) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान से आग्रह है कि वे जिला स्तर पर पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारियों विशेषतया पीठासीन अधिकारी, एम.ए. सी.टी.; न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय; न्यायिक मजिस्ट्रेट, एन.आई.एक्ट प्रकरण.; मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि न्यायालयों का सहयोग लेना सुनिश्चित करें, प्रि–काउंसलिंग को जारी रखे तथा अधिक से अधिक प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

30/11/18
(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2385831, 2227555, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: ftsrslsa@gmail.com website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः एफ–4(158)/RSLSA/SS/NLA-V/2018/ 34596-34625 दिनांकः 30 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य सचिव एवं रजिस्ट्रार, मान्नीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. निजी सचिव, मान्नीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, मान्नीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. निजी सचिव, श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
6. निजी सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.13 (1)ल.प्र. /विविध/गृह–10/2018 जयपुर दिनांक 22.11.2018 के क्रम में।
8. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, श्रीमान् निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
10. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
15. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. विशिष्ट शासन सचिव, (गृह) एवं निदेशक, अभियोजन, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वि.र.सं.), एवं नोडल ऑफीसर, राष्ट्रीय लोक अदालत, राजस्थान सरकार, जयपुर।
20. अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
21. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय लॉयर्स एसोसिएशन, जोधपुर।
22. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जोधपुर।
23. अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, जयपुर।
24. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, समस्त राजस्थान।
25. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
26. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
27. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
28. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
29. अध्यक्ष डिस्कॉम, जयपुर।
30. जनरल मैनेजर, बी.एस.एन.एल।
31. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंक, राजस्थान।
32. क्षेत्रीय प्रबंधक, समस्त राष्ट्रीयकृत एवं निजी बीमा कम्पनी, राजस्थान।
33. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली।

30.11.2018
(निहाल चन्द)
विशेष सचिव
राज0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।